२३/७/१५ पत्रा. पेश हुई प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि दावा वादी इसी पोती एक हादसे में खारिज किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र 212 RTA का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रा.पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नतीजा दर्ज रजि. बाद दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 17:32:34 IST
Reason: SelfAttested